न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, RAS.
पत्रावली संख्या : 129/23 (विविध प्रार्थना पत्र)
जीसीएमएस नम्बर : 2023/360

1. श्री अमरा पिता दौला जी डांगी आयु वयस्क निवासी सिन्दु, तह० मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. श्री भगा पिता दोला जी डांगी आयु वयस्क निवासी सिन्दु, तह० मावली, जिला उदयपुर (राज०) ....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री लछा पुत्र वाला फोत के बजाए–
   1/1 नारायणलाल पिता लछा जी डांगी आयु वयस्क निवासी झालों का गुडा, ईसवाल, तह० बड़गांव, जिला उदयपुर (राज०)
   1/2 रूपलाल पिता लछा जी डांगी आयु वयस्क निवासी झालों का गुडा. ईसवाल, तह० बड़गांव, जिला उदयपुर (राज०)
   1/3 हीराबाई पुत्री लछा डांगी पत्नी गेरा जी डांगी आयु वयस्क निवासी दुदलाई घासा, तह० मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. श्री उदा पुत्र वाला फोत के बजाए–
   2/1 कालुलाल पिता उदा डांगी आयु वयस्क निवासी झालों का गुडा, ईसवाल, तह० बड़गांव, जिला उदयपुर (राज०)
   2/2 जेतीबाई पत्नी खेमराज डांगी आयु वयस्क निवासी झालों का गुडा, ईसवाल, तह० बड़गांव, जिला उदयपुर (राज०)
   2/3– सोवनीबाई पत्नी छगनलाल डांगी आयु वयस्क निवासी घोडच, छापरीया, तह० देलवाड़ा, जिला राजसमन्द (राज०)
3. श्रीमती उदी पुत्री रामा डांगी आयु वयस्क निवासी उपला तालाब सिन्दु, तह० मावली, जिला उदयपुर (राज०)
4. श्रीमती कैलाशी पुत्री खुमा डांगी आयु वयस्क निवासी उपला तालाब सिन्द, तह० अपम श्रीमती अपा मावली, जिला उदयपुर (राज०)
5. श्रीमती कसाली पुत्री माना डांगी आयु वयस्क निवासी उपला तालाब सिन्दु, तह० मावली, जिला उदयपुर (राज०)
6. श्रीमती चन्दरीबाई पुत्री कुका डांगी आयु वयस्क निवासी उपला तालाब सिन्दु, तह० मावली, जिला उदयपुर (राज०)
7. श्रीमती चुन्नीबाई पत्नी स्व. डालु डांगी आयु वयस्क निवासी उपला तालाब सिन्दु, तह० मावली, जिला उदयपुर (राज०)
8. श्री छगनलाल पुत्र कन्हैयालाल डांगी आयु वयस्क निवासी उपला तालाब सिन्दु, तह० मावली, जिला उदयपुर (राज०)
9. श्रीमती जानकीबाई पत्नी स्व. खुमा डांगी आयु वयस्क निवासी उपला तालाब सिन्दु, तह० मावली, जिला उदयपुर (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 12:28:59 IST
Reason: SelfAttested

10. श्री तुलसीराम पुत्र कुका डांगी आयु वयस्क निवासी उपला तालाब सिन्दु, तह० मावली, जिला उदयपुर (राज०)
11. श्रीमती दल्लु पुत्री माना डांगी आयु वयस्क निवासी उपला तालाब सिन्दु, तह० मावली, जिला उदयपुर (राज०)
12. श्रीमती धापुबाई पुत्री रामा डांगी आयु वयस्क निवासी उपला तालाब सिन्दु, तह० मावली, जिला उदयपुर (राज०)
13. श्रीमती नका पुत्री माना डांगी आयु वयस्क निवासी उपला तालाब सिन्दु, तह० मावली, जिला उदयपुर (राज०)
14. श्रीमती नकाबाई पत्नी स्व. चेना डांगी आयु वयस्क निवासी उपला तालाब सिन्दु, तह० मावली, जिला उदयपुर (राज०)
15. श्रीमती नंदुबाई पुत्री कुका डांगी आयु वयस्क निवासी उपला तालाब सिन्दु, तह० मावली, जिला उदयपुर (राज०)
16. श्रीमती नवली पत्नी जगनाथ डांगी आयु वयस्क निवासी उपला तालाब सिन्दु, तह० मावली, जिला उदयपुर (राज०)
17. श्रीमती पताबाई पुत्री डालु डांगी आयु वयस्क निवासी उपला तालाब सिन्दु, तह० मावली, जिला उदयपुर (राज०)
18. श्रीमती पन्नी पुत्री माना डांगी आयु वयस्क निवासी उपला तालाब सिन्दु, तह० मावली, जिला उदयपुर (राज०)
19. श्रीमती पप्पुडीबाई पुत्री डालू डांगी आयु वयस्क निवासी उपला तालाब सिन्दु तह० मावली, जिला उदयपुर (राज०)
20. श्रीमती प्यारीबाई पुत्री कुका डांगी आयु वयस्क निवासी उपला तालाब सिन्दु, तह० मावली, जिला उदयपुर (राज०)
21. श्रीमती फेफाबाई पुत्री खुमा डांगी आयु वयस्क निवासी उपला तालाब सिन्दु, तह० मावली, जिला उदयपुर (राज०)
22. श्री बंशीलाल पुत्र कन्हैयालाल डांगी आयु वयस्क निवासी उपला तालाब सिन्दु, तह० मावली, जिला उदयपुर (राज०)
23. श्री बाबूलाल पुत्र डालू डांगी आयु वयस्क निवासी उपला तालाब सिन्दु, तह० मावली, जिला उदयपुर (राज०)
24. श्री भमरू पुत्र वक्ता डांगी आयु वयस्क निवासी उपला तालाब सिन्दु, तह० मावली, जिला उदयपुर (राज०)
25. श्री भूरा पुत्र भजा डांगी आयु वयस्क निवासी उपला तालाब सिन्दु, तह० मावली. जिला उदयपुर (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 12:28:59 IST
Reason: SelfAttested

26. श्रीमती भूरी पुत्री उंकार डांगी आयु वयस्क निवासी उपला तालाब सिन्दु, तह० मावली, जिला उदयपुर (राज०)
27. श्री भंवरलाल पुत्र डालू डांगी आयु वयस्क निवासी उपला तालाब सिन्दु, तह० मावली, जिला उदयपुर (राज०)
28. श्रीमती भागवंती पुत्री मांगीलाल डांगी आयु वयस्क निवासी उपला तालाब सिन्दु, तह० मावली, जिला उदयपुर (राज०)
29. श्री मांगीलाल पुत्र तुलसी डांगी आयु वयस्क निवासी उपला तालाब सिन्दु, तह० मावली, जिला उदयपुर (राज०)
30. श्री मांगीलाल पुत्र खुमा डांगी आयु वयस्क निवासी उपला तालाब सिन्दु, तह० मावली, जिला उदयपुर (राज०)
31. श्री मांगीलाल पुत्र गोदा डांगी आयु वयस्क निवासी उपला तालाब सिन्दु, तह० मावली, जिला उदयपुर (राज०)
32. श्रीमती गाणीबाई पुत्री रामा डांगी आयु वयस्क निवासी उपला तालाब सिन्दु, तह० मावली, जिला उदयपुर (राज०)
33. श्रीमती मीरा पत्नी स्व. मांगीलाल डांगी आयु वयस्क निवासी उपला तालाब सिन्दु, तह० मावली, जिला उदयपुर (राज०)
34. श्री मोतीलाल पुत्र चेना डांगी आयु वयस्क निवासी उपला तालाब सिन्दु, तह० मावली, जिला उदयपुर (राज०)
35. श्रीमती रूकमणीबाई पुत्री कुका डांगी आयु वयस्क निवासी उपला तालाब सिन्दु, तह० मावली, जिला उदयपुर (राज०)
36. श्री रतनलाल पुत्र धनराज डांगी आयु वयस्क निवासी उपला तालाब सिन्दु, तह० मावली, जिला उदयपुर (राज०)
37. श्रीमती लच्छु पुत्री माना डांगी आयु वयस्क निवासी उपला तालाब सिन्दु, तह० मावली, जिला उदयपुर (राज०)
38. श्रीमती लच्छुबाई पुत्री उदा डांगी आयु वयस्क निवासी उपला तालाब सिन्दु, तह० मावली, जिला उदयपुर (राज०)
39. श्रीमती लच्छुवाई पत्नी स्व. धनराज डांगी आयु वयस्क निवासी उपला तालाब सिन्दु, तह० मावली, जिला उदयपुर (राज०)
40. श्रीमती लेहरीबाई पत्नी स्व उदा डांगी आयु वयस्क निवासी उपला तालाब सिन्दु, तह० मावली, जिला उदयपुर (राज०)
41. श्री लोगर पुत्र भगा डांगी आयु वयस्क निवासी उपला तालाब सिन्दु, तह० मावली, जिला उदयपुर (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 12:28:59 IST
Reason: SelfAttested

42. श्री लोगर पुत्र जगनाथ डांगी आयु वयस्क निवासी उपला तालाब सिन्दु, तह० मावली, जिला उदयपुर (राज०)
43. श्री लोगर पुत्र माना डांगी आयु वयस्क निवासी उपला तालाब सिन्दु, तह० मावली, जिला उदयपुर (राज०)
44. श्रीमती वाली पुत्री माना डांगी आयु वयस्क निवासी उपला तालाब सिन्दु, तह० मावली, जिला उदयपुर (राज०)
45. श्री श्यामलाल पुत्र उदा डांगी आयु वयस्क निवासी उपला तालाब सिन्दु, तह० मावली, जिला उदयपुर (राज०)
46. श्री शिवलाल पुत्र धनराज डांगी आयु वयस्क निवासी उपला तालाब सिन्दु, तह० मावली, जिला उदयपुर (राज०)
47. श्रीमती सरसीबाई पत्नी स्व. कन्हैयालाल डांगी आयु वयस्क निवासी उपला तालाब सिन्दु, तह० मावली, जिला उदयपुर (राज०)
48. श्रीमती सोहनीबाई पुत्री उदा डांगी आयु वयस्क निवासी उपला तालाब सिन्दु, तह० मावली, जिला उदयपुर (राज०)
49. श्री हमेरा पुत्र माना डांगी आयु वयस्क निवासी उपला तालाब सिन्दु, तह० मावली, जिला उदयपुर (राज०)
50. श्रीमती हसलीबाई पत्नी स्व. कुका डांगी आयु वयस्क निवासी उपला तालाब सिन्दु, तह० मावली, जिला उदयपुर (राज०)
51. श्रीमती हीरकी पत्नी गोदा डांगी आयु वयस्क निवासी उपला तालाब सिन्दु, तह० मावली, जिला उदयपुर (राज०)
52. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)

................विपक्षीगण

उपस्थित :— 1. श्री तुलसीराम डांगी, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री हिरालाल सालवी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1／1 से 2／3

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम — 1956</u>

<u>निर्णय</u>

<u>दिनांक : 16.06.2025</u>

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम सिन्दु, पट[illegible] सिन्दु, भु अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र पलानाकंला, तह० मावली जिला उदयपुर में [illegible] वर्तमाना खाता संख्या 498／469,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 12:28:59 IST
Reason: SelfAttested

आराजी नम्बर 869 रकबा 3.1727 हैक्टेयर भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज हैं। उक्त हाल आराजी संख्या भू अभिलेख प्रबन्ध सेटलमेन्ट विभाग के खसरा परिसोधन के अनुसार साबित आराजी संख्या 824 से बनें हैं। प्रार्थीगण के पुर्वज / पिता दौला पिता देवा डांगी थे जिनका निधन आज से करीब 50 वर्ष पूर्व हो चुका हैं। दौला पिता देवा डांगी के विधिक वारीसान प्रार्थीगण होकर दोनों दौला के पुत्र हैं।

2. यह कि उक्त वर्णित आराजीयात की भुमि भू प्रबन्ध विभाग के जमाबन्दी सेटलमेनट डिपारमेन्ट सम्वत् 2010 में वर्णित अनुसार प्रार्थीगण के पिता दौला पिता देवा डांगी 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज रिकॉर्ड लेकिन भू–प्रबन्ध सेटलमेन्ट विभाग के फर्द इख्तलाब ईन्द्राज खसरा के क्रम संख्या 53 के कॉलम संख्या 5 व 6 में प्रार्थीगण के पिता दोला पिता देवा डांगी के नाम राजस्व कर्मचारीयों व अधिकारीयों ने अपनी गलती व लापरवाही से दौला पिता देवा के बजाए वाला पिता देवा अंकित कर दिया गया हैं जो बिना अधिकार के होकर अवैध हैं जिसको प्रार्थीगण निरस्त कराने के अधिकारी हैं। उक्त वर्णित आराजीयात में भूमि प्रार्थीगण के पिता दौला पिता देवा डांगी के खातेदारी की होकर वो अपने जीवनकाल में काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा उनके निधन के बाद प्रार्थीगण काबिज हो काश्त करते चले आ रहे हैं लेकिन सेटलमेन्ट कर्मचारीयों व अधिकारियों ने दौराने सेटलमेन्ट बिना किसी अधिकार व बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के प्रार्थीगण को या उनके पिता को बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना उक्त वर्णित भूमि विपक्षी संख्या 1 व 2 के पुर्वज वाला पिता देवा के नाम दर्ज कर दी तथा उनके निधन के बाद विपक्षी के नाम पर नामान्तरीत हो गई। जबकि विपक्षी संख्या 1 व 2 का उक्त आराजीयात की भूमि पर कोई अधिकार व आधिपत्य नहीं हैं तथा ऐसी अवस्था में राजस्व कर्मचारीयों व अधिकारीयों एवं सेटलमेन्ट विभाग द्वारा उक्त आराजी बाबत् प्रांर्थीगण के पिता के नाम की जमीन को विपक्षीगण एवं उसके पुर्वज के नाम पर बिना अधिकार से की गई हैं ऐसी अवस्था में प्रार्थीगण विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम पर दर्ज हिस्से की भुमि को प्रार्थीगण अपने नाम पर कराने के अधिकारी हैं तदनुसार राजस्व अभिलेख में दुरस्त कराने के अधिकारी हैं।

3. यह कि प्रार्थीगण के उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी दिनांक 06.06.2023 को हुई जब ऑनलाईन खाते की नकल देखी उसके बाद विपक्षी संख्या 1 व 2 के वारिसान को उक्त जमीन प्रार्थीगण के नाम कराने हेतु कहा तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया इस तरह प्रार्थना पत्र पेश करने का कारण अन्तिम बार दिनांक 06.06.2023 को उत्पन्न हुआ उसके बाद विपक्षी संख्या 1 व 2 के वारिसान के विरूद्ध लगातार जारी हैं। प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र में विपक्षी संख्या 1 व 2 के वारिसान से ही रिलिफ मांगी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 12:28:59 IST
Reason: SelfAttested

गई हैं अन्य विपक्षीगण से कोई दाद नहीं चाही गई हैं, जमाबंदी में नाम होने से पक्षकार बनाए गए हैं।

4. अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात की भुमि विपक्षी संख्या 1 व 2 का नाम हटाया जाकर उसकी बजाए सम्पूर्ण 1/6 हिस्सा प्रार्थीगण के नाम पर बराबर बराबर दर्ज कराए जाने का आदेश फरमाया जावें तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद फरमाई जावें।

5. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये समन तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1/1 से 2/3 के अधिवक्ता एवं स्वयं को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब पेश नही करने से जवाब का अवसर बंद किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षी संख्या 3 से 51 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही चाहने बाबत निवेदन किया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 3 से 51 के विरूद्ध अनुतोष भी नही होने से इनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप करने के आदेश दिए गए। तहसीलदार घासा से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार घासा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम सिन्दू माफी की जमाबन्दी सवंत् 2010 में साबिक आराजी नम्बर 824 रकबा 15–15 बीघा में दौला वल्द देवा हिस्सा 1/6 जाति डांगी दर्ज रिकॉर्ड था। इसी प्रकार उक्त आराजीयात् साबिक जमाबन्दी में संवत् 2016–2019 एवं संवत् 2020 से 2023 तथा संवत् 2024 से 2027 में यथावत् दौला पिता देवा जाति डांगी हिस्सा 1/6 बदस्तुर दर्ज रहा। भू–प्रबन्ध के बाद साबिक आराजी नम्बर 824 रकबा 15–15 बीघा के नये हाल नम्बर 869 रकबा 3.1727 हैक्टेयर बने है। वक्त भू–प्रबन्ध हाल आराजी नम्बर 869 में दोला पिता देवा हिस्सा 1/6 जाति डांगी के बजाय वाला पिता देवा हिस्सा 1/6 जाति डांगी दर्ज हुआ। ग्राम सिन्दू परिशोधन पत्र के क्र.स. 53 के अनुसार, वाला पिता देवा की विरासत से लछा, उदा पिता वाला हिस्सा 1/6 जाति डांगी दर्ज हुआ। इसके पश्चात् नामा. संख्या 1599 दिनांक 19.04.2024 विरासत से लछा पुत्र वाला हिस्सा 1/12 जाति डांगी की बजाय नारायण, रूपलाल, हिराबाई पिता लछा, हमेरीबाई पत्नि लछा हिस्सा 1/12 जाति डांगी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हुआ। नामा. संख्या 1607 दिनांक 2.5.2024 विरासत से उदा पुत्र वाला की बजाय कालू, जेती. सोहनीबाई पिता उदा हिस्सा 1/12 जाति डांगी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हुआ। वर्तमान जमाबन्दी में लच्छा के वारिसान नारायण हिस्सा 1/48, रूपलाल हिस्सा 1/48, हीराबाई हिस्सा 1/48 पिता लच्छा, हमेरीबाई पत्नि लच्छा हिस्सा 1/48 दर्ज है। उदा के वारिसान कालू हिस्सा 1/36. जेती हिस्सा 1/36, सोहनीबाई हिस्सा 1/36 पिता उदा दर्ज है। तहसीलदार घासा द्वारा अपनी रिपोर्ट के साथ रिपोर्ट पटवारी हल्का सिन्दू, जमाबन्दी नकल, नामान्तरण नकल की प्रति सलंग्न की गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 12:28:59 IST
Reason: SelfAttested

6. प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो एवं दस्तावेजो, विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलो, सलंग्न राजस्व रिकोर्ड का अवलोकन विधि के परिप्रेक्ष्य मे किया। जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि ग्राम सीन्धु माफी तहसील माहोली जिला उदयपुर की जमाबन्दी सेटलमेंट डिपार्टमेन्ट संवत 2020 के खाता संख्या 178 पर दर्ज आराजी नम्बर 824 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा भूमि दोला वल्द देवा के नाम 1/6 हिस्से से दर्ज रिकॉर्ड थी। ग्राम सिन्दू तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2016–19, 2024–27 में भी आराजी नम्बर 824 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा भूमि दौला पिता देवा के नाम दर्ज रिकॉर्ड थी। सेटलमेंट विभाग के मिलान पत्र संवत 2022 के अनुसार उक्त साबिक आराजी नम्बर 824 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा भूमि के हाल आराजी नम्बर 869 रकबा 19 बीघा 10 बिस्वा कायम कर वाला पिता देवा के नाम दर्ज कर दी गई तथा तत्पश्चात भू–प्रबंध विभाग के फर्द इख्तलाफ इन्द्राज खसरा से वाला पिता दौला के बजाय लछा, उदा पिता वाला के नाम 1/6 हिस्से से दर्ज कर दी गई। लछा एवं उदा के निधन के पश्चात इनके वारिसान के नाम दर्ज कर दी गई। जो प्रकरण में विपक्षी संख्या 1/1 से 2/3 है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि संवत 2016 से दोला पिता देवा के नाम दर्ज रिकॉर्ड चली आ रही थी। भू–प्रबंध विभाग द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि वाला पिता देवा के नाम दर्ज कर दी गई। परन्तु उक्त भूमि को वाला पिता देवा के नाम किस आदेश की गई है इस संबंध में कोई तथ्य अंकित नही है। सेटलमेंट से पूर्व उक्त भूमि प्रार्थीगण के मौरूस दोला पिता देवा के नाम दर्ज थी। जिसको भू–प्रबंध विभाग द्वारा बिना किसी सक्षम आदेश के वाला पिता देवा के नाम दर्ज कर दिया गया। भू–प्रबंध विभाग के अधिकारी/कर्मचारियो को ऐसा करने का कोई अधिकार नही था। भू–प्रबंध विभाग को जो भी अंकन भू–प्रबन्ध कार्यवाही से पूर्व का है, उसे नये रिकार्ड में दोहराया जाना चाहिए, जब तक कि किसी सक्षम न्यायालय का इन इन्द्राजात को बदलने का आदेश ना हो। भू प्रबंध विभाग को यह अधिकार नहीं है कि राजस्व रिकार्ड में आये इन्द्राजात को अपने स्तर पर बदले। यदि ऐसे इन्द्राजात भू प्रबंध विभाग के दौरान बदला जाता है तो उनकी इन्द्राज दुरस्ती धारा 136 एल.आर.एक्ट के अन्तर्गत की जा सकेगी।

निम्नांकित दृष्टांत को भी उद्धरत किया जाना उचित होगा, जो इस प्रकार है।

1996 आर.बी.जे. पृष्ठ 8 : ख्याली व अन्य बनाम स्टेट

ऑफ राजस्थान व अन्य (उच्च न्यायालय)

RAJASTHAN LAND REVENUE ACT, 1956 – SECTION 136

Wrong entry made during settlement operation can be corrected by Land Record Officer.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 12:28:59 IST
Reason: SelfAttested

2015 आर.बी.जे. पेज नम्बर 390
मु. नारायणी व अन्य बनाम जग्गा व अन्य

सेटलमेंट आपरेशन्स के दौरान, राजस्व अभिलेख में भूमि के इन्द्राज, सेटलमेंट प्राधिकारी नहीं बदल सकते है।

भू–प्रबंध विभाग द्वारा बिना किसी सक्षम आदेश के प्रार्थीगण के मौरूस दौला पिता देवा के नाम दर्ज 1/6 हिस्सा भूमि को वाला पिता देवा के नाम दर्ज कर दिया गया। जबकि भू–प्रबंध विभाग को ऐसा करने का कोई अधिकार नही है। वाला पिता देवा के नाम उक्त आराजी दर्ज होने से विरासत से विपक्षी संख्या 1/1 से 2/3 के नाम दर्ज हो गई। विपक्षी संख्या 1/1 से 2/3 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात भी जवाब पेश नही किया। प्रार्थीगण का कथन है कि उक्त भूमि हमारे मौरूस दौला पिता देवा के नाम 1/6 हिस्से से दर्ज थी जिनके बजाय हमारे नाम दर्ज की जावे। इस संबंध में न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटि को ही सुधारा जा सकता है। इस धारा के तहत नए खातेदारी अधिकार नही दिए जा सकते है। इस प्रकरण में भूमि भू–प्रबंध से पूर्व प्रार्थीगण के मौरूस दोला पिता देवा के नाम दर्ज थी जिसे ठीक किया जाकर प्रार्थी के मौरूस दौला पिता देवा के नाम ही दर्ज किया जा सकता है। प्रार्थी को अपने नाम कराने के लिए तहसीलदार के समक्ष दस्तावेजात प्रस्तुत कर विधि के अनुरूप नामान्तरकरण पारित करवाना होगा। अतः उपर्युक्त विवेचन तथा उद्धरत किये गये न्यायिक दृष्टांतो के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम – 1956 का स्वीकार योग्य पाया जाता है।

: : आदेश : :

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम – 1956 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार घासा को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम सिन्दु पटवार हल्का सिन्दु तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 498 पर दर्ज आराजी नम्बर 869 रकबा 3.1727 हैक्टेयर भूमि का राजस्व रिकार्ड में रद्दोबदल कर भू–प्रबंध के पूर्व स्थिति कायम करते हुए विपक्षी संख्या 1/1 से 2/3 का नाम हटाते हुए पुनः प्रार्थीगण के मौरूस दोला पिता देवा के नाम 1/6 हिस्से से दर्ज की जावे।

तहसीलदार घासा को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 12:28:59 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश सीरवी पुनाडिया) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी मावली
जिला उदयपुर